न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी : उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

अपील संख्या: 26 / 2021

दुर्गाप्रसाद मेघवाल पुत्र औंकारमल जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 5 पोपरणा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी झुन्झुनू तहसील व जिला झुंझुनूं।

–रेस्पोडेंट

अपील अ0 धारा 22 (क) राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश तहत अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.10.2020 द्वारा अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी झुन्झुनू सम्बन्धी प्रकरण सरकार बनाम मैसर्स श्री दुर्गाप्रसाद उचित मूल्य दुकानदार पपुरना तहसील खेतड़ी बाबत निलम्बित करने प्राधिकार 71 / 2020

उपस्थित : –

1. श्री ओमप्रकाश सैनी, एडवोकेट – अपीलार्थी की ओर से।
2. श्रीमतीअनामिका, विभागीय पैरोकार–रेस्पोडेन्ट की ओरसे ।

आदेश

दिनांकः– 12.04.2021

प्रस्तुत अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 15.10.2020 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मिअ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न आधारो सहित पेश है कि आदेश दिनांक 15.10.2020 विधि विरूद्ध गलत व अनऔचित्य पूर्ण है। जिला रसद अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड पर साक्ष्य पर गौर नही किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत जबाब देही को नजर अन्दाज किया है। अपीलान्ट ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही की है। अदालत मातहत ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर तथाकथित अनियमितता के तथ्यो से [illegible] बहस पारित किया है। अदालत मातहत ने निर्णय जेर बहस पारित करने का [illegible] प्रिज्यूडिस डीलर लाईसेन्स निलम्बित किया है। जिला रसद अधिकारी के द्वारा अपी[illegible] का लाईसेन्स महज वितरण की दैनिक सूचना नही देने एवं शिकायतकर्ता द्वारा कथित किया गया कि तौल में कम गेहू दिया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:27:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

जाने के कारण के आधार पर निलम्बित किया है जबकि इसमें अपीलान्ट की किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं रही है। शिकायतकर्ता अपीलान्ट से द्वेष रखता है जिसके कारण शिकायतकर्ता ने अपीलान्ट की शिकायत की है जबकि अपीलान्ट ने किसी प्रकार की कोई लापरवाही नही बरती है तथा ना ही कम वजन तौला है अपीलान्ट ने तौल यंत्र में कोई गड़बड़ी नही की है बल्कि सभी को यंत्र के वजन के अनुसार गेहूं का वितरण किया है। उक्त कानूनी तथ्यो पर अदालत मातहत ने गौर न कर अपीलान्ट का लाईसेन्स निलम्बित करने में अदालत मातहत ने गलती कानूनी की है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपीलान्ट को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करके एक पक्षीय निर्णय पारित नही किया जा सकता है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। अपीलान्ट के द्वारा राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के किसी भी क्लोज का उल्लंघन नहीं किया है। उसके बावजूद भी अपीलान्ट का लाईसेन्स निलम्बित करने में जिला रसद अधिकारी ने माईण्ड अप्लाई नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं का आदेश दिनांक 15.10.2020 को निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावें।

बहस सुनी गयी । वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड पर साक्ष्य पर गौर नही किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत जबाब देही को नजरअन्दाज किया है। अपीलान्ट ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही की है। अपीलान्ट के पास दूसरे डीलर की दुकान को अटेच किया गया था जिसके द्वारा उसका पूरा स्टॉक नही दिया गया। बाट – माप की जांच मे भी कोई अनियमितता नही पाई गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं का आदेश दिनांक 15.10.2020 को निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावें।

विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि जांच मे अपीलान्ट को दूसरे डीलर की दुकान अस्थाई अटैचमेन्ट पर दी गई थी। जांच मे अपीलान्ट द्वारा कम तोलने की शिकायत सही पाई गई। बाट व माप भी जांच मे सही नही पाये गये। मौके पर जांच के दौरान भौतिक सत्यापन में 169 किलोग्राम चीनी व 1057 किलोग्राम गेहूं कम पाये गये। अपीलान्ट के विरूद्ध जांच में गंभीर अनियमतिताएं पाई गई है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध पारित आदेश विधि सम्मत है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण का कार्य नियमानुसार नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई फोर्स नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र 169 किग्रा. चीनी तथा 1057 किग्रा गेहूं का गबन करने व तौल यंत्र में 1.49 किग्रा से 2 किग्रा. तक वजन कम तौलने के अन्तर पाये जाने पर निरस्त किया गया है। प्रकरण के अहम तथ्य तर्क निम्न प्रकार है यथा :–

1. प्रकरण में निरीक्षण के दौरान अपीलान्ट द्वारा दुकान के बाहर मूल्य सूची व स्टॉक प्रर्दशन नहीं किया गया था तथा स्टोक व वितरण रजिस्टर का भी संधारण नहीं किया [illegible]। उपरो अनियमितताओं की बाबत अपीलान्ट ने अपना कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। इस [illegible] अपीलान्ट ने 169 किग्रा. चीनी तथा 1057 किग्रा गेहूं का गबन नहीं करने का कोई [illegible] के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:27:17 IST
Reason: SelfAttested

2. अपीलान्ट का मुख्य कथन यह रहा है कि अपीलान्ट को दुसरे डीलर की दुकान से अस्थाई अटैचमेन्ट पर दी गई थी तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को सूनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलान्ट की शिकायत खाद्य सामग्री कम तौलने की गई थी, जो निरीक्षण के दौरान शिकायत सही पाई है। अब सवाल रहा अदालत मातहत के यहां अपीलान्ट के सुनवाई के अवसर का तो अपीलान्ट ने स्वयं दिनांक 28.05.2020 को अदालत मातहत के यहां उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा तथा दिनांक 14.09.2020 को अपना जबाब अदालत मातहत के यहां प्रस्तुत किया है। इससे साफ जाहिर है कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट को साक्ष्य, सबुत प्रस्तुत करने तथा अपना पक्ष रखने का पूर्व अवसर प्रदान किया है।

3. अदालत मातहत ने 169 किग्रा. चीनी तथा 1057 किग्रा गेहूं का गबन करने पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

4. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड मातहत मय आदेश की प्रति के प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं 12/04/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:27:17 IST
Reason: SelfAttested